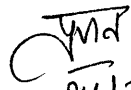
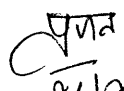


वन विभाग, बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लगाई गई मानक शर्तों के मान्य होने काप्रमाण-पत्र

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जयेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग/संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वनभूमि को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किए जाने पर सम्बंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजा का भुगतान उस विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित, वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बंध में बनाए गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वनभूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा के आधारित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा। परंतु प्रतिबंधित यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन जन्तुओं से सम्बंधित विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/ इस विभाग द्वारा वन विभाग के नर्सरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जाने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग/संस्थान या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करने पर वनभूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार का भुगतान किये विभाग की सम्पत्ति हो जाएगी। वन स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।


 26/7/16
 प्रणव कुमार / PRANAV KUMAR
 मुख्य प्रबंधक / Chief Manager
 पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1, गया उप-केंद्र
 POWERGRID ERTS-1, Gaya Sub-Station

11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर विभाग का परामर्श प्राप्त न होगा। इस सम्बंध में मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या- 608डी, दिनांक- 10.02.1982 निहित आदेशों का पालन सार्वजनिक निर्माण, विभाग द्वारा किया जायेगा। वन मार्ग अथवा वन भागों के मामले में फेरबदल का याचक विभाग के सर्वे से पर्याप्त न होगा और नयी सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।
12. वनभूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधित प्रमाणपत्र के आधार पर आंकलन होगा जो याचक को मान्य होगा।
13. वनभूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा बिहार सरकार वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया को वन विभाग उचित समझ द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से पूर्व निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सकें और उनके पातन आवश्यक होतो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के सम्तुल्य वृक्षारोपन का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थानपर 10 पेड़ों का रोपन तथा 03 वर्षों तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा का भुगतान वन विभाग को करना होगा। एक हजार मीटर ऊँचाई एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन निश्चित है। इसी प्रकार अन्य विभागों में पेड़ का पातन भी वाञ्छित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वनभूमि के उपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा तथा खम्भा को उँचा करके ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके सम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।
16. यदि नहर आदि के निर्माण में भूखण्ड की सम्भावना होती है कुछ नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो याचक विभाग अपने व्यय से बनवायेगा।
17. उक्त लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार वन विभाग स्तर पर किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगा।
18. वनभूमि वास्तविक हस्तांतरण सभी प्रपत्र वा शर्तों का पुरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर के आश्वासन प्राप्त हो जाए।


 26/11/16
 प्रणव कुमार / PRANAV KUMAR
 मुख्य प्रबंधक / Chief Manager
 पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-I, गया उप-केंद्र
 POWERGRID ERTS-I, Gaya Sub-Station

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprises)

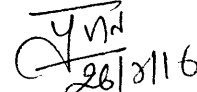


765/400/220 के.वी. गया उपकेन्द्र, ग्राम-बारा, गया-डोभी रोड, निकट मटिहानी कैम्प, पो-सहदेवखाप, बोधगया, गया : 824234
दूरभाष : 0631-2906351 फैक्स : 0631-2221347
765/400/220 KV Gaya, Vill-Bara, Gaya-Dobhi Road, Near Matihani Camp, P.O-Sahdeokhap, Bodhgaya, Gaya : 824234
Phone No. : 0631-2906351 Fax : 0631-2221347

अनुलग्नक- छ

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वचन-वद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार उद्यम) द्वारा निर्माणाधीन 400 के.वी. डबल सर्किट नबीनगर-गया पारेषण लाईन से प्रभावित वनों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण के लिये वचनवद्ध है।


(प्रणव कुमार)

मुख्य प्रबंधक

पावरग्रिड, गया।

प्रणव कुमार / PRANAV KUMAR
मुख्य प्रबंधक / Chief Manager
पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1, गया उप-केंद्र
POWERGRID ERTS-I, Gaya Sub-Station

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprises)

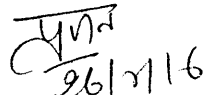


765/400/220 के.वी. गया उपकेन्द्र, ग्राम-बारा, गया-डोभी रोड, निकट मटिहानी कैम्प, पो०-सहदेवखाप, बोधगया, गया : 824234
दूरभाष : 0631-2906351 फैक्स : 0631-2221347
765/400/220 KV Gaya, Vill-Bara, Gaya-Dobhi Road, Near Matihani Camp, P.O-Sahdeokhap, Bodhgaya, Gaya : 824234
Phone No. : 0631-2906351 Fax : 0631-2221347

अनुलग्नक- ज

कार्य प्रारम्भ न करने सम्बंधी वचन-बद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार उद्यम), पूर्वी क्षेत्र-1, गया (बिहार) द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के वनेतर प्रयोग के लिये सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के उपरांत ही निर्माणाधीन 400 के०वी० डबल सर्किट नबीनगर-गया पारेशन लाईन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। अभी तक इस लाईन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।


(प्रणव कुमार)

मुख्य प्रबंधक

पावरग्रिड, गया।

प्रणव कुमार/PRANAV KUMAR
मुख्य प्रबंधक/Chief Manager
पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1, गया उप-केन्द्र
POWERGRID, ERTS-I, Gaya Sub-Station

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprises)



765/400/220 के.वी. गया उपकेन्द्र, ग्राम-बारा, गया-डोभी रोड, निकट मटिहानी कैम्प, पो-सहदेवखाप, बोधगया, गया : 824234

दूरभाष : 0631-2906351 फैक्स : 0631-2221347

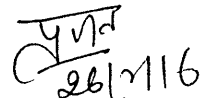
765/400/220 KV Gaya, Vill-Bara, Gaya-Dobhi Road, Near Matihani Camp, P.O-Sahdeokhap, Bodhgaya, Gaya : 824234

Phone No. : 0631-2906351 Fax : 0631-2221347

अनुलग्नक- झ

वृक्षा रोपन हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार उद्यम) द्वारा निर्माणाधीन 400 के.वी. डबल सर्किट नबीनगर-गया पारेशन लाईन हेतु वाञ्छित 1.7158 हेक्टेयर वन भूमि के बदले दोगुने अवनित वन-भूमि पर वृक्षारोपन हेतु व्यय, जो वन विभाग द्वारा किया जाएगा, उसका भुगतान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।


(प्रणव कुमार)

मुख्य प्रबंधक

पावरग्रिड, गया।

प्रणव कुमार / PRANAV KUMAR

मुख्य प्रबंधक / Chief Manager

पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र - I, गया उप-केन्द्र

POWERGRID ERTS-I, Gaya Sub-Station

पंजीकृत कार्यालय : बी०-९, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली : 110 016

Regd. Office : B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110 016

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprises)



765/400/220 के.वी. गया उपकेन्द्र, ग्राम-बारा, गया-डोभी रोड, निकट मटिहानी कैम्प, पो-सहदेवखाप, बोधगया, गया : 824234

दूरभाष : 0631-2906351 फैक्स : 0631-2221347

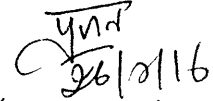
765/400/220 KV Gaya, Vill-Bara, Gaya-Dobhi Road, Near Matihani Camp, P.O-Sahdeokhap, Bodhgaya, Gaya : 824234

Phone No. : 0631-2906351 Fax : 0631-2221347

अनुलग्नक- अ

एन० पी० वि० के लिये सहमती पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा निर्माणाधीन 400 के०वी० डबल सर्किट नबीनगर-गया पारेषण लाईन से प्रभावित कुल वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य के अनुसार एन० पी० वि० राशि का भुगतान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।


(प्रणव कुमार)

मुख्य प्रबंधक

पावरग्रिड, गया।

प्रणव कुमार / PRANAV KUMAR

मुख्य प्रबंधक / Chief Manager

पावरग्रिड, पो-सहदेवखाप, गया उप-केन्द्र

PGCIL, P.O-Sahdeokhap, Gaya Sub-Station

पंजीकृत कार्यालय : बी०-९, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली : 110 016

Regd. Office : B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110 016